

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण,  
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना ।

द्वारा— आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

पटना, दिनांक—१४/०४/२०२६

विषय:— राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण सगठन (NACO) के अन्तर्गत बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति (BSACS) के द्वारा राज्य स्तर से लेकर उपकेन्द्र स्तर तक अनुबंध पर नियुक्त सभी प्रकार के पदों पर कार्यरत कर्मियों की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर उनके निकटतम आश्रित को अनुग्रह अनुदान राशि के भुगतान करने हेतु राज्यांश मद में वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट उपबंध में उपबंधित राशि से रु० 4,00,000/- (रुपये चार लाख) मात्र की व्यय निमित्त स्वीकृति ।

आदेश: स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक विभागीय सकल्प सख्या-157(12), दिनांक-17/02/2020 तथा 1701-A(12), दिनांक-21/11/2023 के क्रम में कहना है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण सगठन (NACO) के अन्तर्गत बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति (BSACS) के द्वारा राज्य स्तर से लेकर उपकेन्द्र स्तर तक अनुबंध पर नियुक्त सभी प्रकार के पदों पर कार्यरत कर्मियों की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर उनके निकटतम प्रति आश्रित को 400 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान राज्यांश मद अन्तर्गत विषय शीर्ष-37-01 अनुग्रह अनुदान मद में वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट उपबंध में उपबंधित राशि रु० 10,00,00,000/- (रुपये दस करोड़) मात्र में से रु० 4,00,000/- (रुपये चार लाख) मात्र की राशि सलग्न सूची (अनुलग्नक-1) के अनुरूप किया जाना है ।

2-— ज्ञातव्य है कि भारत सरकार के राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण सगठन (NACO) के अन्तर्गत बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति (BSACS) राज्य में एड्स के मरीजों से संबंधित जागरूकता, परामर्श, जांच, बचाव, सहयोग एवं उपचार के साथ ही समाज के मुख्य धारा से जोड़ने संबंधी प्रयास सहित चिकित्सा सेवा को सुदृढ़ करने हेतु राज्य स्तर से लेकर उपकेन्द्र स्तर तक विभिन्न प्रकार के पदों पर अनुबंध पर कर्मियों की नियुक्ति किया जाता है, जिनका प्रतिपूर्ति मानदेय का भुगतान राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण सगठन (NACO) द्वारा आवंटित राशि से किया जाता है। अतएव लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर प्रदान की जाने वाली अनुग्रह अनुदान का भुगतान विभागीय सकल्प सख्या-157(12), दिनांक-17/02/2020 के कड़िका-3 के आलोक में विषय शीर्ष-37/01 (अनुग्रह अनुदान) से किया जायेगा।

3-— स्वास्थ्य विभागीय सकल्प सख्या 157(12), दिनांक-17/02/2020 के द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण सगठन (NACO) के अन्तर्गत आने वाले बिहार एड्स नियंत्रण समिति (BSACS) के द्वारा राज्य स्तर से लेकर उपकेन्द्र स्तर तक अनुबंध पर नियुक्त सभी प्रकार के पदों पर कार्यरत कर्मियों की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर उनके निकटतम आश्रित को चार लाख रु० मात्र के अनुग्रह अनुदान के भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया है। कार्यरत कर्मियों के विवाहित होने की स्थिति में यह भुगतान उनके पत्नी/पति को एवं यदि विवाहित नहीं हो तो उनके माता/पिता को किया जायेगा। इन आश्रितों को अनुपलब्धता की स्थिति में कार्यरत कर्मियों के निकटतम आश्रित को भी भुगतान किया जा सकेगा। तदक्रम में अनुलग्नक-1 के अनुरूप राज्यांश मद में वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट उपबंध में उपबंधित राशि से रु० 4,00,000/- (रुपये चार लाख) मात्र के राशि की व्यय निमित्त स्वीकृति दी जाती है।

by

4- राज्याश मद की उक्त राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2026-27 में अधोलिखित उपशीर्ष अन्तर्गत उपबधित राशि से विकलनीय होगा-

(i) माग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-विकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी, लघु शीर्ष-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-उप शीर्ष-0309-एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210012000309, पी0एफ0एम0एस0 कोड-9156, विषय शीर्ष-37 01-अनुग्रह अनुदान मद में अंतः उपबध में उपबधित राशि से रु० 4,00,000/- (रुपये चार लाख) मात्र विकलनीय होगा।

5- इस राशि की निकासी अवर सचिव सह-निकारी एवं व्यय पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना होंगे एवं नियत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस राशि को निकासी कर बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति (BSACS) के द्वारा उपलब्ध कराये गये मृत कर्मियों के निकटतम आश्रित विवरणी (अनुलग्नक-1 के अनुरूप) के आलोक में उनके बैंक खाते के माध्यम से उपलब्ध करायेगे।

6- यह रवीकृत्यादेश वित्त विभागीय परिपत्र सं०-2561/वि०(2) दिनांक-17.04.1998, 2419/वि०(2) दिनांक-05.04.2007, 8593/वि०(2) दिनांक-27.11.2007, 96/वि०(2) दिनांक-03.01.2008, 3923/वि०(2) दिनांक-09.04.2010 एवं अद्यतन परिपत्रों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7- प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका संख्या-07/बजट-46-10/2025 के पृष्ठ-55/टि० पर प्राप्त है।

8- प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

9- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।

10- राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार, राज्यपाल के आदेश से,

  
(शम्भु शरण)


सरकार के अपर सचिव

जापाक 07/बजट-46-10/2025 - 144 (7A) रवा०, पटना, दिनांक 28/04/2026

**प्रतिलिपि-** अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/ प्रमडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमडल/ जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि-**परियोजना निदेशक, बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सरथान भवन, शेखपुरा, पटना 800014 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि-**माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के अपर सचिव/ सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान अपर सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग का ऑफलाइन एवं सूचनात्मक एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के अपर सचिव।  
Recd

अनुलग्नक:-1

सेवा अवधि के दौरान कार्यरत कर्मियों के मृत्युपरान्त अनुग्रह-अनुदान हेतु उनके निकटतम आश्रित का विवरणी:-

क्रम सं०	पदधारक का नाम	पदधारक का पद के नाम	मृत्यु की तिथि	निकटतम आश्रित का नाम एव मृत व्यक्ति से संबंध	अनुदान पाने वाले व्यक्ति के बैंक खाता का विवरणी			
					बैंक का नाम	बैंक खाता सं०	आई०एफ०ए०सी० कोड	अनुदान की राशि (रु०)
1	स्व० शम्स नौरज खा	पूर्व वरीय चिकित्सा पदाधिकारी	18 12 2024	श्रीमति शाहजाहाँ (पत्नी)	HDFC बैंक	50100232267393	HDFC0001648	4,00,000/-
	कुल-							4,00,000/-

144/7A)  
28/04/2026

(रुपये चार लाख) मात्र

अरविन्द  
27/4/2026  
(अरविन्द कुमार द्विवेदी)  
सरकार के संयुक्त सचिव ।

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

1

1